



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938

No. 2044]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

**का.आ. 2723(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 और का. आ. 196 (अ), तारीख 6 मार्च, 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का 93.000 कि.मी. से 479.000 कि.मी. (हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर सेक्शन) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 8.000 कि.मी. से 24.000 कि.मी. (आगरा-ग्वालियर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुल, बाइपासों, सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण करने हेतु सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 05 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर 2014, सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च 2015 तथा सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 8 जून 2016 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 176.800 कि.मी. से प्रारम्भ करके (बाइपास का 0.000 कि.मी.) रासा-3 के 13.030 कि.मी. पर मिलते हुए (बाइपास का 32.800 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" संदर्भित किया गया है), आगरा शहर में चार लेन के बाइपास (डिजाइन चैनल 0.000 कि.मी. से 32.800 कि.मी.) के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों परस्त्वम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी-1 के स्त्वम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 150%के हिसाब से (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले बाइपास जिसकी निवल लम्बाई 31.995 कि.मी. है और संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) की समकक्ष लम्बाई 8.050 कि.मी. के लिए नीचे सारणी-1 के स्त्वम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 100% के हिसाब से शुल्क

उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से कार्यान्वयन की वास्तविक तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

## सारणी 1

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6.	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

(1) नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित फीस प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

फीस प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आगरा जिले में राइभा गांव के पास 10.800 कि.मी. पर	शून्य	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है के उपयोग के लिए निम्नलिखित फीस प्लाजा ऐसे फीस प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

फीस प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	निम्नलिखित से शुरू होकर	निम्नलिखित पर मिलते हुए		
आगरा जिले में राइभा गांव के पास 10.800 कि.मी. पर	आगरा बाइपास	0.000	32.800	31.995 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए निम्नलिखित फीस प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

फीस प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आगरा जिले में राइभा गांव के पास 10.800 कि.मी. पर	0.805*	0.805	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

\*60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नप्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान (कि.मी. पर)	संरचना का स्वरूप	कुल लम्बाई (मीटर)
(i)	0.0287	आर ओ बी	90.000
(ii)	8.954	आर ओ बी	90.000
(iii)	13.706	आर ओ बी	90.000
(iv)	31.048	आर ओ बी	126.000
(v)	0.000	फलाइओवर	100.000
(vi)	13.490	फलाइओवर	60.000
(vii)	32.800	फलाइओवर	99.000
(viii)	28.072	बड़ा पुल	150.000
<b>संरचना की कुल लम्बाई</b>			<b>805.000</b>

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह फीस प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016-17 के लिए मासिक पास की दर 235.00 रूपए (दो सौ पैतीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन उक्त नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे फीस प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक के ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए उक्त नियमों के अधीन, फीस संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्ड के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 685.00 करोड़ रूपए है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अर्जन, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई बकाया कार्यों को पूरा करने आदि के क्रियाकलापों को अभी पूरा किया जाना है। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग-से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गये प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40: कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा सं. भाराप्रा/सीओ/2016-17/जीसी-आगरा बाइपास (0.000-32.800)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2016

**S.O. 2723(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 78 (E) dated 4<sup>th</sup> February, 1999 & S.O. 196(E) dated 6<sup>th</sup> March, 2000 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 93.000 to 479.000 of National Highway number 2 (Haryana/Uttar Pradesh border to Kanpur section) and km 8.000 to km 24.000 (Agra-Gwalior section) of National Highway number 3 respectively in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19<sup>th</sup> December, 2014, G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015 & G.S.R. 585 (E) dated 8<sup>th</sup> June, 2016 for collection of fee for the use of sections of national highways, permanent bridge, bypasses, tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said “Rules”), the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the Four lane Bypass to Agra City (having Design Chainage km 0.000 to km 32.800) taking off at km 176.800 of NH-2 (km 0.000 of bypass) and merging at km 13.030 of NH-3 (km 32.800 of the bypass) in the State of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the “said section”), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 150% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as “base rate”) of Table 1 below for bypass costing 10 Crores or more, having net length of 31.995 km & at 100% of the base rates specified in columns (2) of Table 1 below for equivalent length of 8.050 km of structure (having more than 60 m length)] and authorizes the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later.

**Table-1**

S. No	Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three-axle commercial vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 10.800 near Village Raibha in District Agra	NIL	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km 10.800 near Village Raibha in District Agra	Agra Bypass	0.000	32.800	31.995 (Excluding length of structures >60m length)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 10.800 near Village Raibha in District Agra	0.805*	8.050	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

\* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Location of structure (at km)	Type of structure	Total length (mtr.)
(i)	0.0287	ROB	90.000
(ii)	8.954	ROB	90.000
(iii)	13.706	ROB	90.000
(iv)	31.048	ROB	126.000
(v)	0.000	Flyover	100.000
(vi)	13.490	Flyover	60.000
(vii)	32.800	Flyover	99.000
(viii)	28.072	Major Bridge	150.000
<b>Total length of structure</b>			<b>805.000</b>

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the said Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the said Rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 685.00 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, completion of balance works, etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/CO/2016-17/GC-Agra Bypass (0.000-32.800)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.